भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1498

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

घुसपैठ रोकने हेतु पांच-स्तरीय योजना

†1498. श्रीमती पूनमबेन माडम :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :
श्री राजीव सातव :
डॉ० हिना विजयकुमार गावीत :
श्री टी० राधाकृष्णन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ भारत के 2900 किलोमीटर पश्चिमी सीमा के साथ घुसपैठ पर पूर्णतया रोक लगाने हेतु एक विस्तृत पांच स्तरीय योजना बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत कितना व्यय होने की संभावना है और कब तक इसे कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या सरकार ने पहले से ही इस संबंध में पंजाब और जम्मू में 5 किलोमीटर के प्रत्येक खंड पर प्रारंभिक परियोजना प्रारंभ कर दी है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग) : भारत-पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें बाड़ का निर्माण, तेज रोशनी की वय्वस्था, सीमा चौकियां (बीओपी), हेड हेल्ड थर्मल इमेजर (एचएचटीआई), लांग रेंज रेकी आब्जर्वेशन सिस्टम (एलओआरआरओएस), नाइट विजन गॉगल/उपकरण आदि जैसे अत्याधुनिक निगरानी उपकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों, जहां बाड़ नहीं

लगाई जा सकी, में रेडारों, सेंसरों, कैमरों, संचार नेटवर्कों और कमान्ड तथा नियंत्रण समाधानों के एकीकरण के रूप में प्रौद्योगिकीय समाधान स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

(घ) और (ड़) : सरकार ने जम्मू सीमा के उत्तरदायित्व क्षेत्र (एओआर) में दो भागों (05-05 किमी.) में प्रौद्योगिकीय समाधान स्थापित करने संबंधी एक प्रायोगिक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। प्रापण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और प्रस्ताव संबंधी अनुरोध (आरएफपी) के साथ ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी जारी कर दी गई है। तदनन्तर, भारत-पाकिस्तान सीमा में 40-50 किमी. (लगभग) की प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है ।